



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिस के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2745522 E-mail: modelschoolrcse@gmail.com



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/मॉडल स्कूल/संचालन/प्रवेश प्रक्रिया-170-II/पार्ट-I/9599 दिनांक : 20/02/2024

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, सम्बन्धित जिले।

विषय:-स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के सत्र 2024-25 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-राज्य सरकार शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के पत्र क्रमांक प. 4 (15) शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 23.02.15, समसंख्यक पत्र दिनांक 30.06.15 एवं क्रमांक 4 (15)/शिक्षा-1/मॉ. स्कूल/2017 पार्ट जयपुर दिनांक 17.06.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि आपके जिले में संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के सत्र 2024-25 में कक्षा 06, 08 एवं 09 में रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जारी संदर्भित प्रवेश नीति अनुसार प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। इस हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के स्तर से निम्नानुसार कैलेंडर निर्धारित किया जाता है :-

कक्षा-6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश प्रक्रिया कैलेंडर :-

क्र.सं.	प्रवेश प्रक्रिया संबंधी कार्य	तिथियाँ
1	समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञापित जारी किया जाना एवं प्रवेश हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार।	01.03.2024 तक
2	प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण करना	01.03.2024 से 11.03.2024
3	चयनित आवेदकों की सूची का निर्धारण	14.03.2024
4	प्रवेश हेतु चयनित आवेदकों की सूची जारी किया जाना	18.03.2024
5	चयनित आवेदकों से प्रवेश फार्म भरवाया जाना	28.03.2024
6	कक्षा 6-8 का संचालन प्रारम्भ किया जाना	01.04.2024

सत्र 2024-25 में कक्षा 6 से 8 में प्रवेश हेतु रिक्त स्थानों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश एवं आरक्षित सूची तैयार करने हेतु निम्नानुसार प्रवेश समिति का गठन किया जाता है -

क्र.सं.	प्रवेश समिति	पद
1	मॉडल स्कूल के निकटस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य	अध्यक्ष
2	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अथवा CBEO द्वारा नामित ACBEO-I or ACBEO-II	सदस्य
3	स्थानीय ब्लॉक से एक जन प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
4	मॉडल स्कूल का प्रधानाचार्य	सदस्य सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
5626882



Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.02.18 11:41:05 IST
Reason: Approved

कक्षा-09 के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश प्रक्रिया कैलेंडर :-

क्र.सं.	प्रवेश प्रक्रिया संबंधी कार्य	तिथियाँ
1	प्रवेश प्रक्रिया तिथि के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञप्ति जारी किया जाना।	01.03.2024 तक
2	प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया जाना	01.03.2024 से 11.03.2024
3	प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र तैयार करवाना।	04.03.2024
4	प्रवेश पत्रों का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण।	09.03.2024
5	प्रवेश परीक्षा का आयोजन	15.03.2024
6	प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित कर चयनित आवेदकों की सूची जारी किया जाना।	22.03.2024
7	चयनित आवेदकों के प्रवेश फार्म भरवाना	23.03.2024 से 30.03.2024
8	कक्षा-09 का विधिवत संचालन प्रारम्भ किया जाना।	01.04.2024

कक्षा-09 में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र निर्माण, प्रवेश परीक्षा के क्रियान्वयन व प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराने का समस्त उत्तरदायित्व जिला स्तर पर गठित समिति का होगा, समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	जिला स्तरीय प्रवेश परीक्षा समिति	पद
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान	अध्यक्ष
2	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)	सदस्य
3	अति जिला परियोजना समन्वयक (ADPC), समग्र शिक्षा अभियान	सदस्य
4	प्रधानाचार्य-1, जिले में संचालित मॉडल स्कूलों में से	सदस्य
5	कार्यक्रम अधिकारी (मॉडल स्कूल), समग्र शिक्षा अभियान	सदस्य सचिव

इस क्रम में कक्षा 09 में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के बारे में स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा-08 की "प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र" परीक्षा का परिणाम आने के 07 दिवस के भीतर कक्षा-09 के प्रवेश की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर नव प्रवेशी विद्यार्थियों हेतु अंतिम सूची जारी कर प्रवेश दिये जाए। स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में पहले से ही 08वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नियमानुसार कक्षा 09 में प्रवेश देकर 01 अप्रैल, 2024 से विद्यालय की समस्त कक्षाओं का शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ किया जाये।

- कक्षा 10 व 12 में सीबीएसई के नियमानुसार प्रवेश दिया जाये।
- मॉडल विद्यालयों में कक्षा 11 की प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित निर्देश पृथक से जारी किए जायेंगे।

(अविचल चतुर्वेदी)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा, राजस्कूशिप, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, संबंधित जिले।
4. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समसा, संबंधित जिले।
5. मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी, समसा, संबंधित जिले।
6. संस्थाप्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, संबंधित 134 ब्लॉक्स।
7. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

Signature valid

RajKaj Ref
5626882

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.02.18 11:41:05 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: 4(15)शिक्षा-1/मॉ.स्कूल 2017 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 17.6.2021

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
जयपुर।

विषय:- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु पूर्व में जारी प्रवेश नीति में संशोधन बाबत।

प्रसंग:- पत्रांक:रा.स्कूल शि.प./जय/मॉडल स्कूल/संस्थापन/ई.सी.जी.सी.
/75039-II/19872 दिनांक 02.3.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में कक्षा-6, 9, व 11 में प्रवेश में जारी प्रवेश नीति में संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, के स्थान पर प्रवेश नीति में "संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों के स्थान पर सर्वप्रथम संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात कक्षाओं में सीट रिक्त रहने पर ही शहरी परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे", संशोधित किया जाता है।


भवदीय,

मा.लि.सं.
17.06.2021
(भारतेन्द्र जैन)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. रक्षित पत्रावली।


17.6.21
(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी-शिक्षा

00-11
24/2/15

147

259

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 4(15) शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट

जयपुर, दिनांक 23-2-15

आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर, राजस्थान।

विषय :- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015-16 में प्रवेश हेतु नीति का निर्धारण कर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाने बाबत।

संदर्भ :- राज्य सरकार का पूर्व पत्रांक क्रमांक : प. 4(15) शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 24.06.2013 एवं दिनांक 21.08.2013।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु प्रसारित दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए सत्र 2015-16 से कक्षा 6 से 9 के लिए निम्नानुसार प्रवेश नीति निर्धारित की जाती है :-

(A) कक्षा 6 से 8 तक प्रवेश नीति

1. कक्षा 6 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया रखी जानी है जो निम्नानुसार है:-
 - i. प्रथम वरीयता-संबंधित ब्लॉक्स से विधवा, परित्यक्ता एवं एच.आई.वी. एड्स पीड़ित अभिभावकों के बालक-बालिकाएं।
 - ii. द्वितीय वरीयता-विकलांग बालक-बालिकाएं चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों।
 - iii. तृतीय वरीयता-बी.पी.एल. परिवार (केन्द्र व राज्य सूची) के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के बालक-बालिकाएं।
 - iv. चतुर्थ वरीयता-बी.पी.एल. परिवार के सामान्य वर्ग के बालक-बालिकाएं।
 - v. पंचम वरीयता-नॉन बी.पी.एल. परिवार के बालक-बालिकाएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के हों।
 - vi. छठी वरीयता-नॉन बी.पी.एल. सामान्य वर्ग के बालक-बालिकाएं।
2. कुल प्रवेश योग्य सीटों पर बालिकाओं के लिए सत्र 2014-15 में निर्धारित न्यूनतम 50 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 55 प्रतिशत का प्रावधान छात्राओं हेतु रखा जावे।
3. मॉडल स्कूलों में प्रवेश हेतु उसी ब्लॉक में निवास करने वाले छात्र/छात्रा को ही प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे। सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य ब्लॉक के छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. कक्षा 6 में शत प्रतिशत प्रवेश नवीन होंगे। कक्षा 7 एवं 8 में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों के अतिरिक्त शेष रिक्त सीटों पर भी निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही प्रवेश दिया जावे।
5. प्रवेश समिति द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक कक्षा में शत प्रतिशत नामांकन हो।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर
पत्रांक
6130

6. वरीयता एवं वरीयता में उल्लेखित क्रम से ही रिक्तियों की पूर्ति की जावेगी, फिर भी अंत में आवश्यकता हुई तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

7. प्रवेश समिति का संगठनात्मक स्वरूप राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही रहेगा जो निम्नानुसार है-

- i. मॉडल स्कूल के निकटस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य-अध्यक्ष
 - ii. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी-सदस्य
 - iii. स्थानीय ब्लॉक से एक जन प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)-सदस्य
 - iv. मॉडल स्कूल का प्रधानाचार्य-सदस्य सचिव
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ओबीसी (नॉन क्रिमीलियर)/बीपीएल/विकलांग इत्यादि के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। यदि बच्चे का यह प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण-पत्र को आरम्भ में स्वीकार कर लिया जाए किन्तु संबंधित प्रमाण-पत्र प्रवेश के 3 माह के भीतर जमा करना होगा।
9. कक्षा 6 से 8 में प्रवेश हेतु शेष समस्त शर्तें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4 (15)/शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 24.06.2013 एवं 21.08.2013 के अनुसार ही प्रभावी होंगी।

(B) कक्षा 9 में प्रवेश हेतु नीति

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015-16 से कक्षा 9 के लिए प्रवेश नीति निम्नानुसार होगी :-

1. प्रति मॉडल स्कूल 9वीं कक्षा में 2 सेक्शन के अनुसार अधिकतम प्रवेश योग्य विद्यार्थियों की संख्या 80 होगी।
2. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत आठवीं कक्षा के विद्यार्थी 8वीं परीक्षा में ग्रेड बी अथवा 45 प्रतिशत एवं उससे अधिक स्तर प्राप्त करने पर कक्षा 9 में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
3. ग्रेड बी अथवा 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जाकर उनका अन्य राजकीय विद्यालयों में प्रवेश करवाया जायेगा।
4. उक्तानुसार सीटे भरने के उपरान्त कक्षा 9 में शेष रही सीटों पर प्रवेश हेतु ब्लॉक स्तर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जावेगा।
5. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होगा।
6. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी 9वीं कक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
7. प्रवेश परीक्षा के अंक जारी होने के उपरान्त किसी प्रकार की पुनः जांच का प्रावधान नहीं होगा।
8. प्रवेश परीक्षा में चयन के उपरान्त भी विद्यार्थी तब तक प्रवेश का पात्र नहीं होगा जब वह आवश्यक दस्तावेज समिति को उपलब्ध करवाएगा एवं समिति उक्त दस्तावेजों से पूर्णतः संतुष्ट होगी।

9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

10. प्रवेश में आरक्षण के प्रावधान निम्नानुसार होंगे:-

- राज्य के टी.एस.पी. क्षेत्रों एवं बांस जिले के अतिरिक्त अन्य ब्लॉक्स में प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिये जाने वाली प्रवेश योग्य सीटों में से अनुसूचित जाति हेतु -16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु -12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु -21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु- 1 प्रतिशत, आरक्षित होगी एवं शेष 50 प्रतिशत सीटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।
- टी.एस.पी. एरिया के संबंधित ब्लॉक्स में आरक्षण राज्य सरकार के मापदंडानुसार अनुसूचित जनजाति हेतु -45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु -5 प्रतिशत होगा एवं शेष 50 प्रतिशत सीटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।
- बारां जिले के समस्त ब्लॉक्स में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों हेतु अनुसूचित जाति हेतु 8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 6 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु 10 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु 1 प्रतिशत, सहरिया वर्ग हेतु 25 प्रतिशत आरक्षित होगी, एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित वर्गों से भरी जायेगी।
- प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम 55 प्रतिशत सीटे छात्राओं हेतु एवं 3 प्रतिशत सीटे निःशक्तजन के लिए आरक्षित होंगी।
- प्रवेश हेतु यदि किसी वर्ग में 55 प्रतिशत छात्राएं उपलब्ध नहीं होती है तो शेष सीटे उसी वर्ग के छात्रों से भरी जावेगी। इसी प्रकार 3 प्रतिशत निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होने पर शेष सीट उसी वर्ग के छात्र-छात्राओं से भरी जावेगी।
- किसी वर्ग हेतु निर्धारित सीटो के लिए उस वर्ग के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष सीटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

11. प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया :-

- प्रवेश परीक्षा में संबंधित ब्लॉक के राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।
- प्रवेश परीक्षा का आयोजन संबंधित जिले के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में किया जायेगा।
- प्रवेश परीक्षा हेतु पेपर का निर्माण एवं प्रवेश परीक्षा के क्रियान्वयन की समस्त जिम्मेदारी जिला स्तर पर गठित समिति की होगी। समिति निम्नानुसार होगी :-
 - जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान- अध्यक्ष।
 - प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान- सदस्य।
 - अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-सदस्य
 - संस्था प्रधान-1 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल (जिले के संचालित मॉडल स्कूल से)- सदस्य
 - कार्यक्रम अधिकारी, सदस्य सचिव होंगे।
- प्रश्न पत्रों में गणित, सामान्य विज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी विषय पर वस्तुपरख प्रश्न पूछे जावेंगे। प्रश्न पत्र 8वीं कक्षा के स्तर का होगा। प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा एवं प्रत्येक विषय को बराबर अंकभार प्रदान किया जावेगा। उक्त प्रश्नपत्र में हिन्दी विषय के अलावा अन्य विषयों के प्रश्न अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होंगे।
- प्रवेश परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी।

150

262

- vi. जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया 01 अप्रैल तक पूर्ण की जावेगी एवं इस परीक्षा के आधार पर वर्गवार बनाई गई मैरिट लिस्ट में से उपलब्ध रिक्तियों पर 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।
- vii. जिला स्तरीय समिति द्वारा ही ब्लॉकवार रिक्तियों की सूचना प्रकाशित की जावेगी एवं समाचार पत्रों, अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावेगा।
- viii. जिला स्तरीय समिति द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रश्न पत्रों को 5 विभिन्न Sequential Order में निर्मित किया जायेगा।
- ix. प्रश्न पत्रों का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा करवाया जावेगा।

प्रवेश हेतु समयबद्ध कलैण्डर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्तर से निर्धारित कर जारी किया जावेगा। अतः तदनुसार स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु वर्ष 2015-16 से प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

23/2/15
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

23/2/15
शासन उप सचिव, प्रथम